न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः–389/2019

1. अल्लाबक्श
2. मोहम्मद इरशाद } पि0 लालखॉ जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादीगण

बनाम्

1. लालखॉ पुत्र खान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. नूसरत बैगम पुत्री लालखॉ जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री अब्दुल सत्तार जोईया अधिवक्ता वादी
श्री हरबन्स सिह अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :– 15.01.2021

वादीगण अल्लाबक्श आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा व खाता विभाजन के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण के पिता प्रतिवादी लालखॉ के नाम से चक 11 सीडीआर पटवार हल्का नाईवाला के प0न0 214/259 मु0 24 किलान0 21 ता 24 प0न0 214/260 मु0 33 किलान0 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025,3/1/.228, 3/2/.025,4/1/.228,4/2/.025, 5/1/.228, 5/2/.025,7, प0न0 215/260 मु0 34 किलान0 1/1/.228, 1/2/.025, 6/.215, 15/.215 कुल 3.2130 है0 आराजी मय गै0मु0 दर्ज कागजात माल थी, जिसमें से प0न0 214/260 मु0 33 किलान0 4,5,7 कुल .759 है0 मय गै0मु0 आराजी अपनी पत्नी को हिस्सा कर दी लेकिन हिब्बानामा का कागजात माल में अमल दरामद नही होने के कारण समस्त आराजी प्रतिवादी लालखॉ के नाम से दर्ज कागजात माल है।

वादपत्र की दफा 3 में वर्णित आराजी में से .759 है0 आराजी प्रतिवादी लालखॉ ने अपनी पत्नी को हिब्बा कर दी थी बाकी बची 2.4540 है0 आराजी में से 3–3 बीघा आराजी वादीगण को पारिवारिक समझौता में बांट कर दी दी थी जिस पर वादीगण क़ाबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादीगण को पारिवारिक समझौता में मिली आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना वादीगण ही खजाना राज में जमा करवाते चले आ रहे है। वादीगण को पारिवारिक समझोता में वादपत्र की दफा 4 के अनुसार आराजी प्राप्त हुई है। वादपत्र कीदफा 4 में वर्णित वादीगण को प्राप्त आराजी कागजात माल में प्रतिवादी लालखॉ के नाम से दर्ज होने के कारण वादीगण के हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है, इसलिए वादीगण वादपत्र की दफा 4 के अनुसार आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर खाता अलग से कायम करवाकर खाता हाजा में से प्रतिवादी लालखॉ का हिस्सा कम करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 4 में दर्ज बाही विभाजन के अनुसार भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 3 में

वर्णित आराजी में से .759 है0 आराजी प्रतिवादी लालखॉ ने अपनी पत्नी को हिब्बा कर दी थी बाकी बची 2.4540 है0 आराजी में से 3–3 बीघा आराजी प्रथम पक्ष वादीगण को पारिवारिक समझौता में बांट कर दी दी थी जिस पर प्रथम पक्ष वादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादीगण को पारिवारिक समझौता में मिली आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना वादीगण ही खजाना राज में जमा करवाते चले आ रहे है। वादपत्र की दफा 4 में दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी प्रथम पक्ष अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाते चले आ रहे है। इसलिए उपरोक्त बटवारा के अनुसार आराजी प्रथम पक्ष में नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर प्रथम पक्ष की आराजी का खाता अलग से कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम कर प्रतिवादी लालखॉ का हिस्सा कम किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है।राजीनामा के साथ पक्षकारान की आईडी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो बाद तस्दीक राजीनामा शामिल मिसल किये गये। साक्ष्य के रुप में वादी सं0 1 द्वारा अपना शपथ पत्र पेश किया तथा माता का सहमति बाबत शपथ पत्र पेश किया व वारिसान की तस्दीक बाबत वादीसं0 1 द्वारा स्टाम्प पर अपना शपथ पत्रपेश किया जो शामिल मिसल किये गये। स्टेट की ओर से अपना जबाबदावा पेश किया गया।

बहस सुनी गई।वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है।वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण ने अपने राजीनामा में मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के बाद दस्तावेजों जमाबन्दी,राजीनामा, वारिसनामा का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है।पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। सहमति का राजीनामा पेश होने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है।वादीगण अपना वाद दस्तावेज व सहमति के आधार पर साबित करने में सफल रहे है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि क.वादी अल्लाबक्श को चकनं0 11 सीडीआर के प0न0 214/260 मु0 33 किलानं0 1/1/.228 नहरी, 1/2/.025 है0 मु0 खाला, 2/1/.228 नहरी, 2/2/.025 है0 गै0मु0 खाला, 3/1/.228 नहरी, 3/2/.025 गै0मु0 खाला कुल .759 है0 मय गै0मु0 ख.वादी मोहम्मद इरशाद को चकनं0 11 सीडीआर के प0न0 214/259 मु0 24 किलानं0 21,22,23 कुल .759 है0 आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व इसी अनुसार वादीगण की आराजी का खाता पृथक से तकसीम कर रकम राज अलग से कायम करने व चक 11 सीडीआर खाता सं0 157/136 मे से प्रतिवादीसं0 1 लालखॉ का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकसील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–389/2019

1.अल्लाबक्श
2.मोहम्मद इरशाद } पि0 लालखॉ जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादीगण

बनाम्

1.लालखॉ पुत्र खान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2.नूसरत बैगम पुत्री लालखॉ जाति मुसलमान निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3.तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अब्दुल सत्तार जोईया वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री हरबंस सिह प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादी अल्लाबक्श को चकनं0 11 सीडीआर के प0न0 214/260 मु0 33 किलानं0 1/1/.228 नहरी, 1/2/.025 है0 मु0 खाला, 2/1/.228 नहरी, 2/2/.025 है0 गै0मु0 खाला, 3/1/.228 नहरी, 3/2/.025 गै0मु0 खाला कुल .759 है0 मय गै0मु0 ख.वादी मोहम्मद इरशाद को चकनं0 11 सीडीआर के प0न0 214/259 मु0 24 किलानं0 21,22,23 कुल .759 है0 आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व इसी अनुसार वादीगण की आराजी का खाता पृथक से तकसीम कर रकम राज अलग से कायम करने व चक 11 सीडीआर खाता सं0 157/136 मे से प्रतिवादीसं0 1 लालखॉ का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...X....निल.....X...मुब्लिक...X..निल.....X...बाबत्.....X....निल....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....X....अदा करें। वसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15.01.2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी